[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–28 एच०एल०ए०

हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 1992 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 8 का संशोधन।

"(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा "यदि यह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीडित है।" फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित दिनांक 07.05.2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1992 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक सरंचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

2. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 (1992 का 10) में हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 से उद्धरण

8. बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं.– किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप मे नामजद किये जाने के लिये निम्नलिखित कारणो से अयोग्य ठहराया जायेगाः–

X X X X X

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा है या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है;

12282–H.V.S.–H.G.P., Pkl.